डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ
वित्त समिति की चौबीसवीं बैठक दिनांक–14.10.2020 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

1. प्रो0 सुबीर कुमार भटनागर, कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ। — अध्यक्ष
2. श्री मदन राजा मौर्या, अपर निदेशक कोषागर एवं पेंशन उ0प्र0 शासन, लखनऊ। — नामित सदस्य
3. श्री अनिल कुमार मिश्र, कुलसचिव, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ। — सदस्य
4. डा0 संजय सिंह, प्रोफेसर डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ। — सदस्य
5. श्री अरविन्द कुमार उत्तम, वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ। — सदस्य सचिव

बैठक के आरम्भ में कुलपति महोदय द्वारा समस्त उपस्थित सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया। इसके उपरान्त सदस्य सचिव द्वारा निर्धारित एजेण्डा एवं प्रत्येक एजेण्डा बिन्दु पर विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत की गयी। प्रत्येक बिन्दु पर वित्त–समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

एजेण्डा बिन्दु संख्या–1
वित्त समिति की तेईसवीं बैठक दिनांक 08.08.2019 में लिये गये निर्णयों एवम् बैठक के कार्यवृत्त की वित्त समिति द्वारा पुष्टि

वित्त समिति की तेईसवीं बैठक दिनांकः 08.08.2019 का कार्यवृत्त **संलग्नक–(1)** विश्वविद्यालय द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–183/एनएलयू/लेखा/वि.स./2019–20, दिनांकः 09 अगस्त, 2019 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों को पुष्टि हेतु प्रेषित किया गया। किसी भी माननीय सदस्य से इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

अतः माननीय वित्त समिति से बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि किया जाना प्रस्तावित है।

वित्त समिति का निर्णयः–

वित्त समिति द्वारा तेईसवीं बैठक दिनांक 08.08.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

SKB
(Prof. S.K. Bhatnagar)
Vice Chancellor

Finance Officer
Dr. Ram Manohar Lohiya National
Law University, Lucknow

एजेण्डा बिन्दु संख्या–2

वित्त समिति की तेईसवीं बैठक दिनांकः 08.08.2019 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या

क्रम संख्या	एजेण्डा बिन्दु	अनुपालन आख्या
1.	वित्त समिति द्वारा बाईसवीं बैठक दिनांक 08.12.2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
2.	वित्त समिति द्वारा दिनांक 08.12.2018 की बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा एजेन्डा बिन्दु संख्या–6 में यह निर्देश दिये गये कि सेवाप्रदाता के माध्यम से योजित सेवाओं के सम्बन्ध में जल्द से जल्द कार्यवाही सम्पन्न करायी जाये।	सेवाप्रदाता के माध्यम से योजित सेवाओं के सम्बन्ध में निविदा आमंत्रित कर कार्यवाही सम्पन्न करायी जा चुकी है।
3.	वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के संशोधित मदवार व्ययों, वित्तीय वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान एवम् वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक अनुमानों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गयी है।
4.	एक लाख से अधिक मूल्य के किये गये क्रय एवम् कराये गये अनुरक्षण के कार्यो पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। परन्तु विशेष सचिव(न्याय) द्वारा यह टिप्पणी की गयी कि वे इस प्रकरण से अवगत हुए।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
5.	माननीय वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। परन्तु विशेष सचिव(न्याय) द्वारा यह टिप्पणी की गयी कि वे इस प्रकरण से अवगत हुए।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
6.	माननीय वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के सभागार, सेमिनार हॉल, अतिथि–गृह, मूटकोर्ट हॉल, वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इत्यादि **(लेक्चर हाल(एफ–1) को छोड़कर)** का बाह्य संस्थाओं/विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों/ कार्मिकों द्वारा प्रयोग किये जाने हेतु किये गये किराये के निर्धारण पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	अनुमोदनानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
7.	शिक्षक आवासों की माइनर रिपेयर एवं पेन्टिंग के कार्य विभिन्न भवनों के सिविल अनुरक्षण के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों का वित्त समिति द्वारा अवलोकन किया गया तथा शिक्षक आवासों की माइनर रिपेयर एवं पेन्टिंग के कार्य हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय में	अनुमोदनानुसार कार्यवाही सम्पन्न करायी जा रही है।

SKB

(Prof. S.K. Bhatnagar)
Vice Chancellor

	एक भवन समिति का गठन कर लिया जाये जो शिक्षक आवासों एवम् छात्रावासों की माइनर रिपेयर एवं पेन्टिंग की वास्तविक आवश्यकता के आलोक में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त दी गयी संस्तुति के अनुसार कार्यो को सम्पादित कराया जाये। शेष कार्यो पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। परन्तु विशेष सचिव(न्याय) द्वारा यह टिप्पणी की गयी कि वे इस प्रकरण से अवगत हुए।	
8.	माननीय वित्त समिति द्वारा आगामी शिक्षा सत्र 2020–21 में प्रवेशित छात्रों से लिए जाने वाले विकास शुल्क इत्यादि के वृद्धि के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि इसका अनुमोदन कार्यपरिषद से प्राप्त कर लिया जाये।	वित्त समिति द्वारा संस्तुत, फीस वृद्धि के प्रस्ताव को, कार्यपरिषद द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया गया।
9.	माननीय वित्त समिति द्वारा विभिन्न मदों में ली जा रही शुल्क की दरों में वृद्धि पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	अनुमोदनानुसार कार्यवाही करायी जा रही है।
10.	माननीय वित्त समिति द्वारा नवीन निर्मित स्पोर्टस कॉम्पलेक्स की सुविधाओं का उपयोग करने हेतु वार्षिक शुल्क का निर्धारण किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	जैसे ही नवीन निर्मित स्पोर्टस कॉम्पलेक्स कार्यदायी संस्था द्वारा हस्तगत कर दिया जाता है, उपयोगकर्ताओं से अनुमोदनानुसार शुल्क जमा कराया जायेगा।

माननीय वित्त समिति अनुपालन आख्या का अवलोकन करना चाहे।

<u>वित्त समिति का निर्णयः–</u>

वित्त समिति द्वारा दिनांक 08.08.2019 की बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा यह निर्देश दिये गये कि भवन समिति से आवासों एवम् छात्रावासों की वास्तविक आवश्यकताओं का आंकलन करा लिया जाये तथा उसके अनुसार ही कार्यदायी संस्थाओं से पुनरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त कर कार्यवाही सम्पादित करायी जाये।

Finance Officer
Dr. Ram Manohar Lohiya National
Law University, Lucknow

SKBh
(Prof. S.K. Bhatnagar)
Vice Chancellor

एजेन्डा बिन्दु संख्या–3

वित्तीय वर्ष 2019–20 के संशोधित मदवार व्ययों, वित्तीय वर्ष 2020– 21 के पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान एवम् वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक अनुमानों के अनुमोदन पर विचार

वित्तीय वर्ष 2019–20 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुदान संख्या–73 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्रदान की गयी स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष हुये व्ययों की स्थिति निम्नवत है:–

(धनराशि लाख में)

क्रम संख्या	मानक मद संख्या	स्वीकृत धनराशि	आहरित धनराशि	व्यय	अभ्युक्ति
1.	20–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर–वेतन)	700.00	700.00	671.77	अवशेष धनराशि रू0 28.23 लाख को प्राप्ति लेखाशीर्षक में जमा करा दिया गया है।
2.	31–सहायता अनुदान– सामान्य (वेतन)	700.00	600.00	598.64	अवशेष धनराशि रू0 101.36 लाख को अर्भ्यपित/प्राप्ति लेखाशीर्षक में जमा करा दिया गया है।
3.	20–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर–वेतन)–सेमीनार आयोजन हेतु –आयोजनागत	00.75	00.75	00.75	सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग कर लिया गया है।
4.	24–बृहत् निर्माण कार्य–स्पोर्टस इंफ्रास्ट्रक्चर को सृदृढ़ एवम् विकसित किये जाने हेतु	40.28	40.28	40.28	सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग कर लिया गया है।
5.	24– बृहत् निर्माण कार्य–दिव्यांजनों हेतु रैम्प एवम् लिफ्ट की स्थापना के लिये	133.83	133.83	133.83	सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग कर लिया गया है।
6.	33–पेंशन/अनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ–एन.पी.एस. के टियर–1 खाते में नियोक्ता अंशदान की राशि	60.00	60.00	55.35	अवशेष धनराशि रू0 4.65 लाख को उत्तर प्रदेश के प्राप्ति लेखाशीर्षक में जमा करा दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राप्त अनुदानों का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा किया गया तथा अवशेष राशि को उत्तर प्रदेश शासन को अभ्यर्पित/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दिया गया है। सहायता अनुदान मद–20 में प्राप्त ब्लाक ग्रांट के सापेक्ष संशोधित मदवार व्यय की स्थिति **संलग्नक–2** पर माननीय समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

काविड–19 के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण विश्वविद्यालय की प्राप्तियों एवम् व्ययों में हुए परिवर्तन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु आय–व्ययक अनुमान की पुनरीक्षित फॉट **संलग्नक–2** पर माननीय समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु आय–व्ययक अनुमान तैयार कर माननीय वित्तीय समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उपर्युक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 के संशोधित व्ययों, वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु तैयार किये गये आय–व्ययक अनुमानों की पुनरीक्षित फॉट एवम् वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक अनुमान पर माननीय वित्त समिति का अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्त समिति का निर्णय:–

वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के संशोधित मदवार व्ययों, वित्तीय वर्ष 2020–21 के पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान एवम् वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक अनुमानों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(Prof. S.K. Bhatnagar)
Vice Chancellor

Finance Officer

एजेन्डा बिन्दु संख्या–4

एक लाख से अधिक मूल्य के कराये गये वार्षिक अनुरक्षण/प्राप्त की गयी ऑन लाईन डाटाबेस सेवाओं पर कार्योत्तर अनुमोदन पर विचार

वित्तीय वर्ष 2019–20 में तात्कालिक आवश्यकता एवम् विश्वविद्यालय हित को दृष्टिगत रखते हुये ऑल लाइन डाटाबेस सेवाओं की आपूर्ति मूल निर्माता फर्म/उनके अधिकृत प्रतिनिधि/प्रकाशक से किया गया है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में स्थापित उपकरणों का अनुरक्षण मूल निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि से कराया गया है जिनका विवरण निम्नवत है:–

मूल निर्माता फर्म अथवा कम्पनी के अधिकृत सेवाप्रदाता से कराये गये वार्षिक अनुरक्षण का विवरण

क्र. सं.	कार्य का विवरण	फर्म का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की स्थिति	धनराशि (रूपये में)
1.	विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में स्थापित यूरेका फोर्ब्स के 20 आर0ओ0 मशीन का वार्षिक अनुरक्षण अवधि 1.04.2019 से 31.03.2020	मै0 यूरेका फोर्ब्स प्रा0 लि0	प.सं.–2400 दिनांक 21/06/2019	8,53,848/–
2.	विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में स्थापित ओटिस कम्पनी के लिफ्ट्स का वार्षिक अनुरक्षण 1. **प्रेक्षागृह की दो लिफ्ट हेतु:** 01.04.2019 से 31.03.2020 रू0 99,120/– 2. **पुस्तकालय की एक लिफ्ट हेतु:** 01.12.2019 से 30.11.2020 रू0 43,102/–	मै0 ओटिस एलीवेटर क0 (इण्डिया) लि0	प.सं.–2344 दिनांक 26/08/2019 एवम् 23/01/2020	1,42,222/–
3.	केन्द्रीयकृत वातानुकूलन संयंत्र के वार्षिक अनुरक्षण एवम् संचालन पर व्यय 1.02.2020 से 31.01.2021	मै0 वोल्टाज लिमिटेड	प.स.–2145 दिनांक 18/02/2020	70,00,881/–

ऑन लाईन डाटाबेस सेवाओं की आपूर्ति

1.	मै0 थामस रियूटर्स साऊथ एशिया प्रा0 लि0	प.स.–2231 दिनांक 31/03/2019	3,98,344/–
2..	मै0 लेक्सिस नैक्सिस	2231 दिनांक 31/07/2019	5,63,827/–
3.	मै0 थामस रियूटर्स साऊथ एशिया प्रा0 लि0	2231 दिनांक 19/03/2020	3,98,344/–
4.	मै0 मनुपात्रा इन्फोरमेंशन साल्यूशन्स प्रा0 लि0	2231 दिनांक 19/03/2020	1,18,000/–
5.	मै0 वाल्टर क्लूअर(इण्डिया) प्रा0 लि0	2231 दिनांक 19/03/2020	3,63,982/–
6.	मै0 टैक्समेन एलाईड सर्विसेस प्रा0लि0	2231 दिनांक 19/03/2020	2,10,595/–
7.	मै0 आल इण्डिया रिर्पोटर प्रा0 लि0	2231 दिनांक19/03/2020	1,18,000/–
8.	मै0 ईस्ट्रन बुक कम्पनी प्रा0 लि0	2231 दिनांक 29/03/2020	2,97,000/–

उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय हित में मूल निर्माता/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों/ प्रकाशकों से कराये गये अनुरक्षण के कार्यों/प्राप्त की गयीं सेवाओं पर माननीय वित्त समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्रस्तावित है।

<u>वित्त समिति का निर्णय</u>:–

एक लाख से अधिक मूल्य के किये गये कय एवम् कराये गये अनुरक्षण के कार्यों पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(Prof. S.K. Bhatnagar)
Vice Chancellor

Finance Officer
Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University, Lucknow

एजेन्डा बिन्दु संख्या–5

वित्तीय वर्ष 2019–20 की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार की गयी एवम् सम्प्रेक्षित बैलेन्सशीट के अनुमोदन पर विचार

विधि विश्वविद्यालय के वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेखे (Balance Sheet) तैयार किये जा चुके है। वार्षिक लेखे (Balance Sheet) को विश्वविद्यालय के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार एवम् सम्प्रेक्षित किया गया है। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा बनायी गयी वित्तीय वर्ष 2019–20 की सम्प्रेक्षित बैलेन्सशीट **संलग्नक–3** पर वित्त समिति के अवलोकनार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 की तैयार एवम् सम्प्रेक्षित बैलेन्सशीट पर माननीय वित्त समिति का अनुमोदन प्रस्तावित है।

वित्त समिति का निर्णयः–

माननीय वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेखों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

SKBh

(Prof. S.K. Bhatnagar)
Vice Chancellor

Finance Officer
Dr. Ram Manohar Lohiya National
Law University, Lucknow

एजेन्डा बिन्दु संख्या–6

सेमिनार पेपर प्रजेन्टेशन हेतु परीक्षकों को न्यूनतम रू0 1000/– पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने के प्रस्ताव पर विचार

विश्वविद्यालय में सेमिनार प्रोजेक्ट कार्य के मूल्याकंन हेतु बाहय/आन्तरिक परीक्षकों को आमंत्रित किया जाता है। इस कार्य हेतु विश्वविद्यालय विनियमावली में रू0 50/– प्रति विद्यार्थी पारिश्रमिक का भुगतान परीक्षकों को किये जाने हेतु व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि यदि दस से कम विद्यार्थियों के सेमीनार प्रोजेक्ट कार्य का मूल्याकंन किया जाना है तो न्यूनतम रू0 1000/– का भुगतान पारिश्रमिक के रूप में किया जाये।

अतः विश्वविद्यालय में सेमिनार प्रोजेक्ट कार्य के मूल्याकंन हेतु विश्वविद्यालय विनियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार रू0 50/– प्रति विद्यार्थी अथवा रू0 1000/–(रू0 एक हजार मात्र) जो अधिक हो, का भुगतान पारिश्रमिक के रूप में किये जाने के प्रस्ताव पर माननीय वित्त समिति का अनुमोदन प्रस्तावित है।

वित्त समिति का निर्णयः–

सेमिनार प्रोजेक्ट कार्य के मूल्याकंन हेतु विश्वविद्यालय विनियमावली में पारिश्रमिक हेतु दी गयी व्यवस्थानुसार रू0 50/– प्रति विद्यार्थी के स्थान पर रू0 50/– प्रति विद्यार्थी अथवा रू0 1500/–(रू0 एक हजार पॉच सौ मात्र) जो अधिक हो, से प्रतिस्थापित किये जाने के प्रस्ताव पर माननीय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

SKBl
(Prof. S.K. Bhatnagar)
Vice Chancellor

Finance Officer
Dr. Ram Manohar Lohiya National
Law University, Lucknow

एजेन्डा बिन्दु संख्या–7

(टेबल एजेन्डा)

सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को विश्वविद्यालय के 8700/– ग्रेड वेतन के प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन निर्धारण किये जाने पर समिति का अभिमत प्राप्त किये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय में प्रशासनिक संवर्ग के यू.जी.सी. अथवा आई.आई.टी./आई.आई.एम. के समक्ष वेतनमानों से आच्छादित विभिन्न पदों के वेतनमानों का पुनरीक्षण उच्च शिक्षा अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–37/2020/852/सत्तर–4–2020–6(5)/2009 दिनांक 22 जुलाई, 2020 (**संलग्नक–4**) के द्वारा किया गया है। शासनादेश के बिन्दु संख्या–3 में यह व्यवस्था की गयी है कि:

"वेतन पुनरीक्षण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के आदेश संख्या–1–7/2015–यू.II(2) दिनांक 2 नवम्बर, 2017 यथा संशोधित आदेश दिनांक 8 नवम्बर, 2017(छायाप्रति संलग्न) के प्रस्तर–2 में उल्लिखित पे मैट्रिक्स के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जायेगा। भत्ते राज्य सरकार के अनुसार अनुमन्य होंगें।" (संलग्नक–5)

उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 में उल्लिखित पे मैट्रिक्स के अनुसार पे बैण्ड–4 37,400 से 67,000 के लेबल–13 में इन्ट्री पे रू0 1,18,500/– दिया गया है जबकि वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–11/2017/वे.आ.–2–563/दस–2017–04(एम)/2017 दिनांक 27 जुलाई, 2017(**संलग्नक–6**) के द्वारा लेबल–13 के पे मैट्रिक्स को संशोधित कर दिया गया है। जिसके अनुसार ग्रेड वेतन रू0 8700/– के लिये प्रतिस्थापित मैट्रिक्स लेबल–13 की इन्ट्री पे रू0 1,23,100/– हो गया है।

अतः उक्त शासनादेशों के आलोक में माननीय समिति अपनी बहुमूल्य राय देना चाहे कि:

1. विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–37/2020/852/ सत्तर–4–2020–6(5)/2009 दिनांक 22 जुलाई, 2020 में दी गयी व्यवस्था को वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–11/2017/वे.आ.–2–563/दस–2017–04(एम)/2017 दिनांक 27 जुलाई, 2017 को संज्ञान में लेते हुये सम्बन्धित अधिकारियों का वेतन निर्धारण करे।

अथवा

2. विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–37/2020/852/ सत्तर–4–2020–6(5)/2009 दिनांक 22 जुलाई, 2020 में दी गयी व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारण कर दे तथा वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–11/2017/वे.आ.–2–563/दस– 2017–04(एम)/2017 दिनांक 27 जुलाई, 2017 को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु उच्च शिक्षा अनुभाग–4 से मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाये।

माननीय समिति उक्त प्रस्ताव पर अपनी राय देना चाहे।

<u>वित्त समिति का निर्णयः–</u>

माननीय समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–37/2020/852/ सत्तर–4–2020–6(5)/2009 दिनांक 22 जुलाई, 2020 में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्बन्धित अधिकारियों का वेतन निर्धारण कर दिया जाये तथा वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–11/2017/वे.आ. –2–563/दस– 2017–04(एम)/2017 दिनांक 27 जुलाई, 2017 को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु उच्च शिक्षा अनुभाग–4 से मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाये।

Finance Officer
Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University

(Prof. S.K. Bhatnagar)
Vice Chancellor

एजेन्डा बिन्दु संख्या–8

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:–

1. विश्वविद्यालय में ऑन–लाईन कक्षाओं के संचालन हेतु सुदृढ़ सूचना प्रौद्यागिकी के विकास हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं को किये जाने पर विचार:

कोविड–19 के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों के दृष्टिगत यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि विश्वविद्यालय में ऑन–लाईन कक्षाओं की पर्याप्त व्यवस्था हो। इस हेतु विश्वविद्यालय में वर्तमान में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित कार्यो को तत्काल कराये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है:–

1. स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था।
2. शिक्षकों को शिक्षण कार्य को सफलता पूर्वक सम्पादित कराये जाने हेतु लैपटाप / डैक्सटाप कम्पयूटर / अन्य शिक्षण उपकरण(Teaching Tools)

माननीय समिति उक्त कार्यो को कराये जाने पर संस्तुति प्रदान करना चाहें।

<u>वित्त समिति का निर्णय:–</u>

माननीय समिति द्वारा उपरोक्त कार्यो को कराये जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी।

बैठक के अन्त में समिति के सचिव द्वारा सदस्यों एवं कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(अरविन्द कुमार उत्तम)
वित्त अधिकारी एवम् सचिव
वित्त समिति
डा0राम मनोहर लोहिया
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

(प्रो0 सुबीर कुमार भटनागर)
कुलपति एवम् अध्यक्ष
वित्त समिति
डा0 राम मनोहर लोहिया,
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,
लखनऊ